फर्द अहकाम

अज अदालत–न्यायालय जिला कलक्टर–मुकाम–भरतपुर

अशोक कुमार बनाम लो.सू.अधि. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका बयाना

किस्म मुकदमा अपील **RTI** नम्बर 79 सन् 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनियशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
11.11.2025	प्रार्थी/अपीलान्ट अशोक कुमार पुत्र श्री बैजनाथ निवासी बेयर हाउस रोड, कस्बा बयाना तहसील बयाना जिला भरतपुर की यह अपील आर टी आई के तहत **अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका बयाना** के खिलाफ प्राप्त हुई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। प्राप्त अपील का अवलोकन किया गया। अपील के साथ संलग्न फोटो प्रति पत्रादि से जाहिर है कि प्रार्थी ने आर.टी.आई. के तहत प्रेषित प्रार्थना पत्र में लोक सूचना अधिकारी **अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका बयाना** द्वारा सूचना उपलब्ध नही कराये जाने के कारण आर.टी.आई. 2005 के तहत प्रथम अपील इस कार्यालय को प्रेषित की गई है। आर.टी.आई. एक्ट के तहत लोक सूचना अधिकारी **अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका बयाना** के खिलाफ अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार जिला कलक्टर भरतपुर को नहीं है। अतः प्राप्त मूल अपील वापस लौटाई जाकर अपीलार्थी को लिखा जावे कि वह नियमानुसार सीधे ही सक्षम अधिकारी को अपील प्रस्तुत करें। पत्रावली बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। **जिला कलक्टर** **भरतपुर**	957 21/11/25 अपील वापिस [illegible]